

उत्तराखण्ड शासन
न्याय अनुभाग-1
संख्या- — /XXXVI-A-1/2024-184/2001 T.C.-IV
देहरादून, दिनांक: 21 फरवरी, 2024

अधिसूचना/नियुक्त


श्री राज्यपाल, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (अधिनियम संख्या 39, सन 1987) की धारा-6 की उपधारा (3) सपठित उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली, 2006 के नियम 6(7) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय की संस्तुति से श्री प्रदीप कुमार मणी, न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, टिहरी गढवाल को सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(नितिन शर्मा)
प्रमुख सचिव

संख्या- 69 (1)/XXXVI-A-1/2024-184/2001 T.C.-IV तददिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), कौलागढ रोड, देहरादून।
3. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल।
4. श्री प्रदीप कुमार मणी, न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, टिहरी गढवाल।
5. समस्त अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला न्यायाधीश, उत्तराखण्ड।
6. अपर मुख्य सचिव, वित्त/गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
9. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रुड़की, हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) (परिनियत आदेश) के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें एवं अधिसूचना की 20 प्रतियां इस अनुभाग को भेजने का कष्ट करें।
10. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, नैनीताल।
11. कार्मिक अनुभाग/एन0आई0सी0/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुधीर कुमार सिंह)
अपर सचिव